

जज अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ..... गुडामालानी .....

नादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रमेश पुत्र लखाराम		1. राका पुत्र मदरूपा वगैरा (07)
2. मुकेश पुत्र लखाराम		जाति मेगवाल निवासी रावलोनाथी तहसील
3. कदना प्रती लखाराम		गुडामालानी जिला बाडमेर
4. कालूराम पुत्र भीमाराम		8. प्रवन्धक एस.वी.आई शाखा गुडामालानी
5. मोडूराम पुत्र भीमाराम		8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पञ्जीय
6. जैसाराम पुत्र भीमाराम		गुडामालानी जिला बाडमेर
जाति मेगवाल निवासी लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर		

किस्म मुकदमा धारा 88,53,188 RTA

मु0-10 80 / 19

नम्बर व तारीख मुकदमा इस हुकम की तारीख में है

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
12/07/2019	वादीगण रमेश वगैरा की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री जगदीश विश्वासी द्वारा प्रतिवादीगण राका वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 53 188 RTA का पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 26/08/19 को पेश हो।
26/08/19	वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के सम्मन भ्रष्ट कर पेश किये। सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/09/19 को पेश हो।
30/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान उपस्थित। आज पी. अ. महोदय दीगर आवश्यक कार्रवाई में व्यस्त हैं। अतः इल्लज होकर पत्रावली आइन्दा 16/11/19 को पेश हो।
16/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान उपस्थित। आज पी. अ. महोदय दीगर आवश्यक कार्रवाई में व्यस्त हैं। अतः इल्लज होकर पत्रावली आइन्दा 16/12/19 को पेश हो।
16/12/19	वादीगण वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन नामील अदम नामील प्राप्त नहीं होकर ली आइन्दा पत्रावली दिनांक 17/01/20 को पेश हो।

दिनेश विश्वासी  
सहायक कलक्टर गुडामालानी

3292  
41919

15/3/22

पत्रावली पेश हुई।  
सहायक कोषाध्यक्ष कार्यालय  
गुडगाव है। पत्रावली कोषाध्यक्ष  
को पेश है। 19/4/22



19/4/22

पत्रावली काउन्सिल द्वारा कमील  
वासीगा उपस्थित। कमील वासीगा  
प्रतिवासीगा के समस्त सचिव डाक  
द्वारा भेजे गए एक केरु भेजकर  
चाहते हैं। पत्रावली का नमूना  
कमिशन किया गया। कमील वासीगा  
द्वारा उक्त नमूना प्रकरण न्यायलय  
के डिप्टी 12/07/2019 को दर्ज  
करवाया गया। लगभग 3 वर्षों के  
भी वासीगा द्वारा प्रतिवासीगा से  
तलबी पूर्ण नहीं करवाए गए हैं। का  
वासीगा का वाद तलबी पूर्ण  
नहीं कराए जाने के कारण  
कुलगीत कोर्ट 9 बिजन 5000  
के तहत कुल नकदी में रकम  
किया जाता है। पत्रावली विधि  
सुधार होकर इच्छित रूप में हो।

PMB

सहायक कलक्टर  
SDO (गुडगाव)